

अभिलेख उपस्थापित।

3

(1.) छत्रु भुईयाँ पिता स्व० महारु भुईयाँ, (2.) दीपक कुमार पिता स्व० महारु राम, (3.) बिकी कुमार पिता स्व० नागेश्वर भुईया एवं (4.) विशाल कुमार राम पिता स्व० नागेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-बिरबिर, पोस्ट-सीतागढ़, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर धारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-बेलामुण्डवार, थाना संख्या-235, खाता संख्या-36 प्लॉट संख्या-190 रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसिमिल) (आठ डिसिमिल) भूमि उर्मिला देवी पति महेश शिवदास, निवास स्थान ग्राम-बेड़मथका पोस्ट-झरपो थाना-ईवाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-311/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1787/रा० दिनांक 25.05.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1766 दिनांक 05.09.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाता की है। खतियानी रैयत बरेया भुईयाँ हैं। खतियान में भूमि का कुल रकवा 0.66 एकड़ दर्ज है तथा केवाला के अनुसार खरीदगी भूमि रकवा 0.39 एकड़ है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.39 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-148/1 पर मुलिया देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। आवेदकगण की दादी जमाबंदी रैयत है। भूमि संयुक्त खाने की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 0.31 एकड़ भूमि श्रयता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के

आदेश की क्रमांक
संख्या
की तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कार्य
दिप्पणी

2

अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है।
प्रस्तावित भूमि आधेदफ के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें
आवेदित भूमि को हरा रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में
प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को
छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत
प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी
है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर
हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक (1.) छत्रु भुईचौं पिता स्व०
महंरु भुईचौं, (2.) दीपक कुमार पिता स्व० महंरु राम,
(3.) बिकी कुमार पिता स्व० नागेश्वर भुइया एवं (4.) विशाल
कुमार राम पिता स्व० नागेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-बिरबिर,
पोस्ट-सीतागढ़, थाना-मुफरियल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर
कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत
अंचल-सदर हजारीबाग, जौजा-बेलामुण्डवार, थाना संख्या-235,
खाता संख्या-36 प्लॉट संख्या-190 रकबा 0.08 एकड़ (08
डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि उर्मिला देवी पति महेश रविदास,
निवास स्थान ग्राम-बेड़मक्का पोस्ट-झरपो थाना-हंवाक,
जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती
है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर सभाहर्ता, हजारीबाग

अपर सभाहर्ता, हजारीबाग